

**Form-I**  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh.  
**Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.**

No: .....1942...../DRA

Dated: 10-08-22


**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0-36-44 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Deputy Director, Tourism and Civil Aviation Kullu, District Kullu (H.P.)** for construction of **Wayside Amenities near Rohtang Tunnel (South Portal)** in Kullu district falls within jurisdiction of **Gram Panchayat, Palchan** in Tehsil Manali.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.36-44 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure D.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

  
(Ashutosh Garg, IAS)  
**District Collector,**  
**Kullu.**

**Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.**

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Ashutosh Garg, IAS, Deputy Commissioner, Kullu on 06/08/2022 at 12.00 PM at Kullu in which the application(s) claiming rights in Gram Panchayat Palchan forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Manali Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application:-

<b>Name of Applicant</b>	<b>Purpose</b>	<b>Decision</b>
Deputy Director, Tourism & Civil Aviation Kullu	Diversion of 0-36-44 hectare of forest land for the construction of Way Side Amenities near Rohtang Tunnel in Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P)	Admitted

Place: Kullu

  
**DC-cum-Chairman,  
District Level Committee,  
Kullu District HP.**

दिनांक 06-08-2022 को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निकासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत श्री आशुतोष गर्ग, उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही:-  
बैठक में निम्न सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों ने भाग लिया: -

1. श्री ऐश्वर्या राज, वन मंडल अधिकारी पार्वती, जिला कुल्लू।
2. श्री निशांत मंडोतरा, वन मंडल अधिकारी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, शमशी।
3. श्री मनोज कुमार, सहायक अरण्यपाल, कुल्लू।
4. श्री मुनीश रांगरा, सहायक अरण्यपाल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, शमशी।
5. श्रीमती आशा ठाकुर, सदस्य।
6. श्रीमती विभा सिंह, सदस्य।

बैठक में सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया। तदानुपरांत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निकासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो वन भूमि हस्तांतरित की जानी प्रस्तावित है, को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में निम्नलिखित योजनाओं (जिनमें उप मण्डल स्तरीय कमेटी की सिफारिश संलग्न है) के लिए प्रस्तावित वन भूमि के उपरोक्त अधिनियम हेतु समिति में विचार विमर्श किया गया:-

Sr. No.	Name of Applicant/ Department	Purpose	Area	Name of Gram Sabha alongwith the date when the resolution passed by the GP	Name of FRC alongwith the date when the resolution passed by FRC	Gram Sabha Quorum	Name of SDLC
1	Dy. Director, Department of Tourism & Civil Aviation Kullu	Wayside amenities near Rohtang Tunnel (South Portal)	0.36.4 4 hec.	Solang dt. 12-07-2022	Solang Nala ward no.-7	158/300	Manali
2	Sr. Project Officer, Himurja, Kullu	Const. of Tahuk Hydro Project.	0.9628 hec.	Barshaini dt. 19-12-2021	Shilla	184/357	Kullu
3	Bholenath Power Const. Co. Pvt. Ltd	Const. of SHEP 5.00 MW Pakhnoji-II	2-49-57 hec.	Soyal dt. 08-12-2019 Soyal dt. 08-12-2019 Karjan dt. 29-07-2017	Haripur Soyal Karjan	241/470 265/526 353645	Manali

Attended  
[Signature]  
Distt. Revenue Office  
KULLU (H.P.)

-93-

4	Seraj Hydro Power Developers	Const. of SHEP 2.00 MW Sajla	0.80 hec.	Khakhnal dt. 26-11-2019 Karjan dt. 29-07-2017	Khakhnal Sajla	261/494 423/823	Man:
---	------------------------------	------------------------------	-----------	--	-------------------	--------------------	------

उपरोक्त सभी मदों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निकासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत एफ़. आर. ए. के मामले मद संख्या 1 को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया तथा मद संख्या 2, 3 व 4 को दस्तावेज़ पूरा न होने के कारण सम्बन्धित उप मंडलीय समिति को पुनः अवलोकन एवम् नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निकासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्थानीय लोगों के वन अधिकार दावों पर बैठक में निम्नलिखित पंचायतों के राजस्व गाँवों (फाटी) पर चर्चा की गयी:-

Sr. No.	Name of Panchayat	Name of FRC
<b>SUB DIVISION BANJAR</b>		
1.	Pekhdi	Pekhri, Shaliga, Daran, Manihar, Nahi,
2.	Nohanda	Tinder, Ropa, Jhaniar, Dingcha

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निकासी (वन अधिकारकी मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्थानीय लोगों के वन अधिकार दावे जिसमें ग्राम पंचायत पेखडी व ग्राम पंचायत नोहांडा के वार्ड क्रमशः पेखरी, शालिगा, दारण, मनिहार, नाही, तिंदर, रोपा, झानीयार व डिंगचा जो कि वन मण्डल अधिकारी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शमशी को अवलोकन के लिए प्रेषित किये गये थे, के सन्दर्भ में वन मण्डल अधिकारी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शमशी ने बैठक को अवगत करवाया कि उप मंडलीय समिति बंजार की बैठक में उनके मण्डल के प्रभारी अधिकारी को नहीं बुलाया गया था व उक्त सभी दावों को बिना वांछित दस्तावेजों की छानबीन के जिला स्तरीय समिति को प्रेषित कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त सदस्य द्वारा यह भी इंगित किया गया कि सम्बन्धित वन अधिकार समितियों ने दावों की छानबीन हेतु वन विभाग के किसी भी कर्मचारी को नियमानुसार सहभागी न बनाया है तथा न ही दावों के साक्ष्यों की प्रतियां व नक्शा इत्यादि लगाये है, वन मण्डल अधिकारी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शमशी द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त सामूहिक वन अधिकार दावों के समस्त मामलों को पुनः उप मण्डलीय समिति बंजार को छानवीन/अवलोकन हेतु प्रेषित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि उक्त सामूहिक वन अधिकार दावों के समस्त मामले जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अधीन है, को पुनः उप मंडल अधिकारी बंजार को छानबीन हेतु इस आशय से प्रेषित किये जाए कि उप मंडलीय समिति की बैठक में उक्त मामलों के निपटारा हेतु ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शमशी के प्रतिनिधि (सहायक अरण्यपाल ग्रेट हिमालयन

  
 Attn: Revenue Office  
 KULLU (H.P.)

नेशनल पार्क शमशी) को शामिल कर, मामलों में छानबीन उपरान्त तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने सदन के ध्यान में लाया कि प्रायः यह देखने में आया है कि समिति के सरकारी सदस्य बैठक में स्वयं शामिल न होकर अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेजते हैं अध्यक्ष महोदय ने समस्त उप मंडल अधिकारी जिला कुल्लू व समस्त वन मण्डल अधिकारी जिला कुल्लू को निर्देश दिए कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निकासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत उप मंडलीय समिति व जिला स्तरीय समिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नामित सदस्य ही बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना सुनिश्चित करे।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया।

(आशुतोष गर्ग, भा०प्र०से०)


5/10/11 उपायुक्त कुल्लू हि० प्र०।  
दिनांक ०८-०८-२२

पृष्ठांकन संख्या : 1963-12 / जि०रा०ले०

प्रतिलिपि सेवा में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सदस्य सचिव एवम् अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू।
2. वन मंडल अधिकारी कुल्लू, वन मंडल कुल्लू तहसील व जिला कुल्लू।
3. वन मंडल अधिकारी पार्वती, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू।
4. वन मंडल अधिकारी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, शमशी, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू।
5. उपमंडल अधिकारी (ना०) बंजार, जिला कुल्लू।
6. उपमंडल अधिकारी (ना०) कुल्लू, जिला कुल्लू।
7. उपमंडल अधिकारी (ना०) मनाली, जिला कुल्लू।
8. श्रीमती आशा ठाकुर, सदस्या, निवासी गाँव बगीचा, डाकघर पिपलागे, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू।
9. श्री पूर्ण चन्द, सदस्य, निवासी गाँव थारवा डाकघर डीम, तहसील निरमंड जिला कुल्लू।
10. श्रीमती विभा सिंह, सदस्या, निवासी गाँव व डाकघर हुरवा, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू।

Attaches

  
Distt. Revenue Officer  
KULLU (H.P.)

(आशुतोष गर्ग, भा०प्र०से०)

5/10/11 उपायुक्त कुल्लू हि० प्र०।

दिनांक 21.07.2022 को 4:00 बजे डॉ० सुरेन्द्र ठाकुर अध्यक्ष उप मण्डल स्तरीय समिति मनाली एवं उप मण्डल अधिकारी (ना०) मनाली, जिला कुल्लू की अध्यक्षता में भूमि टुकड़ा न० 1, रक्वा तदादी 0-36-44 है० वाक्या मोहाल सोलंग तहसील मनाली जिला कुल्लू पर पर्यटन एवम् नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वे साईड एमिनिटिज के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जा रही वन भूमि बारे सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में निम्न सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित हुए:-

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. श्रीमति सुनैना शर्मा | जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू  |
| 2. श्री मित्रदेव        | तहसीलदार मनाली (सदस्य सचिव) |
| 3. श्री वनीश ठाकुर      | वन परिक्षेत्र अधिकारी मनाली |
| 4. श्री हुकम राम        | गैर सरकारी सदस्य            |
| 5. श्री किशोरी लाल      | गैर सरकारी सदस्य            |
| 6. श्रीमति पुष्पा देवी  | गैर सरकारी सदस्य            |

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने के लिए स्वागत किया, तदोपरान्त निम्नलिखित प्रकरण एवम् चर्चा हेतु प्रस्तुत किए गए:-

#### **C/o Way Side Amenities Near Rohtang Tunnel (South Potal) Tehsil Manali District Kullu HP.**


भूमि टुकड़ा न० 1, रक्वा 0-36-44 है०, वाक्या महाल सोलंग, फाटी पलवान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हि०प्र० पर पर्यटन एवम् नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वे- साईड एमिनिटिज के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण का मामला इस कार्यालय के पत्र संख्या 853/एस०डी०के० दिनांक 22.03.2022 द्वारा जिला स्तरीय समिति को FRA Certificate जारी करने हेतु प्रेषित किया गया था। परन्तु उक्त प्रकरण के साथ वन अधिकार समिति सोलंग नाला के 50% व्यस्क व्यक्तियों के हस्ताक्षर की प्रति संलग्न न की गई थी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा सोलंग मोहाल के 158/300 व्यक्तियों के हस्ताक्षर की प्रति Village level Forest Right Committee ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का प्रस्ताव संख्या दिनांक 07.07.2022 तथा ग्राम सभा का प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 21.03.2022 निर्धारित प्रपत्र पर शामिल प्रकरण किया गया है अवलोकन एवम् निरीक्षण से पाया गया कि मोहाल सोलंग में कोई व्यक्तिगत अथवा

Attest

21.07.2022  
KULLU (H.P.)

सामुदायिक द्वारा दावा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लम्बित न है। अतः मामला जिला स्तरीय समिति को FRA Certificate जारी करने हेतु सिफारिश की जाती है।

अन्त में बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।



(डॉ० सुरेन्द्र ठाकुर )  
अध्यक्ष उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति मनाली  
एवं उपमण्डल अधिकारी (ना०)  
मनाली, जिला कुल्लू।

Attested

  
Jstt. Revenue Officer  
EDLU (B.P.)

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006।

ग्राम सभा/मुहाल सभा ..... श्रीलिंग

विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 158/300 (जा अना प्रमाण पत्र) // डा प्रे प्रेक्षण दिनांक 18-07-2022 प्रस्ताव संख्या 12

विषय प्रेक्षण एवं सार्वजनिक उद्देश्य विभाग/संस्था को Way Side Amenities के निर्माण हेतु 2/9 Guameri D.P.F

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-36-44 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम सभा श्रीलिंग की बैठक आज दिनांक 18-07-2022 को 11 वजे स्थान श्रीलिंग जिला (प्रस्ताव) में की गई

जिसमें प्रेक्षण एवं सार्वजनिक उद्देश्य विभाग/संस्था को Way Side Amenities के निर्माण हेतु 2/9 Guameri D.P.F जंगल /वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-36-44 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्राम वासीयों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम सभा को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-36-44 हेक्टर वन भूमि को Way Side Amenities निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा श्रीलिंग की सहमति दी जाती है।

स्थान श्रीलिंग जिला  
दिनांक 18-07-2022

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,  
ग्राम सभा श्रीलिंग

Attest  
Distt. Revenue Office  
KULLU (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006।

वन अधिकार समिति  
वार्ड नं० ... 7. फ. ड.

मोहल नाला तहसील मनाली

जिला कुल्लू

हाजापूरी 158/300

प्रस्ताव संख्या..... 7 .....

दिनांक..... 07/07/2022

वन अधिकार समिति वार्ड नं० ..... मोहल नाला ..... की बैठक

आज दिनांक 07-07-2022 को 11:00 बजे स्थान ..... में श्री / श्री मति.....

श्री कुल चन्द ..... की अध्यक्षता में की गई जिसमें

..... \*\* .....

गाँव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत 219 Cumeri D.F. जंगल/ वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदकों पर चर्चा की गई, जिसमें Way side Amenities के निर्माण के लिए 0-36-44 हेक्टर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अध्यक्षता तहत उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि श्री / श्री मति .....

-NA- का जंगल/ वन क्षेत्र में -NA-

-NA- के लिए अधिकार

हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/ तदानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/ तदानुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

अध्यक्ष, प्रधान  
वन अधिकार समिति  
मुहाल सोलग  
तह० मनाली, जिला कुल्लू

सचिव  
वन अधिकार समिति  
मुहाल सोलग  
तह० मनाली, जिला कुल्लू

स्थान .....  
दिनांक ..... 07-07-2022

प्रांतीय/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Attested  
Distt. Revenue Officer  
KULLU (RPR)

DATE

आज दिनांक 7-7-2022 को नम आदिवासी  
 कामेदी मुहल्ला सोलगा के अध्यक्ष श्री गोबलचन्द  
 को अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक की  
 कार्यवाही गणपति उपरान्त अमल में लई जायगी।  
 जिस में नम आदिवासी कामेदी सोलगा पर्यटन  
 विभाग को अन्नापीत उभाव-पत्र जारी करेगी।

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
1	गीतू देवी	Neetu
2	देव राम	देव राम
3	दिशू देवी	Dishu Devi
4	राम चन्द	Ram
5	अमर चन्द	Amar
6	गोबल चन्द	Geetal
7	करतार राम	Kartar
8	ठाकर दास	
9	बेगी देवी	
10	दुशाला ठाकर	Dushala
11	टिकम राम	Tikam Ram
12	यशपाल	Yashpal
13	तारा चन्द	Tara Chandel
14	चिन्त राम	Chint Ram
15	लीला देवी जवना देवी	Leelaben
16	भान चन्द	Bhan
17	माया देवी	Maya Devi
18	सखी देवी	Sakhi
19	मधुस देवी	Madhush
20	Kavita	Kavita

Kusumbaraj

21	कुसुम चन्द			
22	करीम देवी			
23	कुसुमलाल	Kusum	2	50
24	रामी देवी	Rami Devi		60
25	प्राण देवी	Pram		61
26	प्रेमलता	Premalata		62
27	स्वीला देवी			63
28	किरण दास	Kiran Das	→ स्वीला	64
29	लक्ष्मी देवी	Lakshmi		65
30	केवल राम	Kewal Ram		
31	निशा चन्द	Nisha Chandra		66
32	अमर चन्द	Amr Chandra		
33	विमला देवी	Vimala Devi		
36	पमो लाल	Pam Lal	8	67
37	मौल	Maul		68
38	समिधा	Samitha	N	69
39	विमला देवी	Vimala Devi	2	70
40	कुली देवी	Kuli Devi	3	71
41	वरेन्द्र शर्मा	Varender Sharma		72
42	बेना देवी	Bena Devi		
43	खीमदासा	Khim Das		73
44	ज्योती देवी	Jyoti Devi		74
45	कमली देवी	Kamli Devi		75
46	दुप राम	Dup Ram	→ कमली	76
47	विमला देवी	Vimala Devi		77
48	पुनम	Punam	→ पुनम	78
49	कौशल्या देवी	Kaushalya Devi		79
50	विमला देवी	Vimala Devi		80
51	Roshan	Roshan		81
52	Balla Devi	Balla Devi		82
53	जगदीश देव	Jagdish Dev		83
54	अनीलाल	Anil Lal		84
55	अमर	Amr		85
56	केवल राम	Kewal Ram		86

सूचना

सीला

8

7

2

3

सी. तमन्ना

0  
पुस्तक  
देवी

एच

1

]

- 57 उदय राम
- 58 पुनी देवी
- 59 हनुमा देवी
- 60 शरला देवी
- 61 सपना देवी
- 62 संजय लाल
- 63 अलक राम
- 64 बाला राम
- 65 डोलमा देवी
- 66 रेपतराम
- 67 रमेश चन्द
- 68 राम नाम्दे
- 69 प्रीता देवी
- 70 किरा देवी
- 71 पूनू राम
- 72 कला देवी
- 73 दिव्य राम
- 74 निमला देवी
- 75 तमन्ना
- 76 अलका देवी
- 77 लता
- 78 Nanki Devi
- 79 रमेश चन्द
- 80 गुणती देवी
- 81 लखार राम
- 82 उमा देवी
- 83 नीला देवी
- 84 लखार राम
- 85 सावित्री
- 86 दिव्य देवी
- 87 ज्योती देवी
- 88 दिव्य देवी

उदय राम  
पुनी देवी  
हनुमा  
Sana  
Sapna  
Sana

रि  
डोलमा देवी

रेपतराम  
रेपतराम

Ramesh  
Ramesh

meena

Hansa Devi  
पुनू  
कला

Tikender  
Nirmala

Tamanna

Gurpat Devi  
Lata

Nanki Devi

Ranjana  
Ganesh

उमा देवी

नीला देवी

दीव्य देवी

एच

दीव्य देवी  
दीव्य देवी

89	वैद्य राम		
90	सोमनाथ राम	SOMNATH RAM	
91	रिता देवी	Rita devi	126
92	रिखा देवी	Rikha devi	127
93	अमिल चन्द	Amil	128
94	कमला देवी	कमला देवी	129
95	बिन्ता देवी	Binta	130
96	दलजीत	दलजीत	131
97	जीतू राम		
98	सुनी लाल		132
99	कृष्णा देवी		133
100	उत्तमी देवी	Kishna	134
101	चैतन्य राम		735
102	श्री अरु देवी	CHETAN RAM	136
103	दुर्गम राम	Khaisen Devi	137
104	नीतू देवी	Nitu Devi	138
105	धर्म चन्द		139
106	पतना देवी	पतना देवी	140
107	राजकुमारी		141
108	वीर चन्द	Rajkumari	142
109	दाल राम	Beekhand	143
110	विजयनाथ माला	Phal	144
111	रघु राम	Vijaynath Mal	145
112	बुद्ध देवी	Tek Ram	146
113	शुभ चन्द	बुद्ध देवी	147
114	मंगला देवी	Klee	148
115	लाक्ष्मी देवी	मंगला देवी	149
116	प्रीति		150
117	रमेश	प्रीति	151
118	राम	Ramesh	152
119	राम		153
120	कनका लाल	Phal	154
121	देवी कनका	Kanaka Lal	155
122	संगारामा देवी		156
123	जीतू राम	Man	157
			158

DATE

	124	अरुण कुमारी	
	125	सुभा देवी	
	126	अनीता देवी	Po
मिसे	127	वीणा देवी	Yeha
DEVI	128	गोपाल लाल	AW
मा	129	हिनदेश देवी	Bee
अरुण देवी	130	चोत राम	Kozgunder
मके	131	कमला देवी	mlre
जी	132	मालिका	लातवाडे
गुरु	133	वैशा देवी	काली
ल	134	शीला	Dumb
	135	कुमारी देवी	Beg, Dlu
उत्तम	136	राम चन्द	Shook
	137	दाशरथ कर्म	अरुण देवी
	138	रमण चन्द्र	दाशरथ
	139	विष्णु	दाशरथ
	140	रिधा	Krita
	141	रमण चन्द्र	Riya
	142	मालिका	Budh
	143	पद्मा देवी	दाशरथ
	144	वैशा देवी	दाशरथ
	145	सैना देवी	Seina
	146	Narayan Thakur	Narayan
	147	Kesum Thakur	दाशरथ
	148	Balak Pr	Kuber
	149	Indar Chend	दाशरथ
	150	Ram Lal	दाशरथ
	151	Gur dyal Singh	दाशरथ
	152	Sarika Thakur	Sarika
	153	Mohit Thakur	दाशरथ
	154	Animesh Thakur	दाशरथ
हल	155	Poojit Thakur	दाशरथ
	156	Hem Raj	दाशरथ
माम	157	Mohan Lal	दाशरथ
	158	Kailash	दाशरथ

प्रस्ताव नं० १ गत कार्यवाही या प्रायश्चित्त विभाग  
या मुंडाल शाखा या गत कार्यवाही  
या वेठव ये अन्ना पात पर सुनाया गया तथा  
इसका प्रायश्चित्त किया गया।

प्रस्ताव नं० २ पर्यटन विभाग या मुंडाल शाखा  
हेतु अन्ना पात प्रमाण-पत्र कर

आज दिनांक १-१-२०२२ या वन अधिकारी कार्यालय  
मुंडाल शाखा ये अन्ना पात प्रमाण-पत्र या  
अनुमति में वेठव या गरी। वेठव में निम्नलिखित  
मुंडाल पर अन्ना पात प्रमाण-पत्र देने के हेतु  
विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

१. वेठव में चर्चा की गई कि शाखा रोड से  
अन्ना पात रोड रोड निम्नलिखित जाय।

२. पर्यटन की अधिक संख्या को देखते हुए शाखा  
में पर्यटन से लेकर ग्रांटों तक चार-पांच से अधिक  
या निर्माण किया जाय।

३. शाखा नाम में लब्ध या पुल बंद गया है। इसका  
हेतु बंद या अनुमान किया जाय।

४. गांव शाखा के लोगों या लड़ या जो पैसा  
उ.ड.म. कार्यालय में पड़ा है। इस बारे में गांव  
विचार कार्यालय शाखा के बजट में डाला जाय।

उपरोक्त बातों पर वन अधिकारी कार्यालय मुंडाल  
शाखा पर्यटन विभाग या अन्ना पात प्रमाण-पत्र  
दिए जाय स्थिति करती है। उपरोक्त कार्य व  
होने का दशा में वन अधिकारी कार्यालय शाखा  
पर्यटन विभाग या कार्य को कर करे  
या अधिकारी रखती है। इसी के साथ गांव  
या कार्यवाही बंद की जाती है।

classmate  
विकास  
नमो भगवते वासुदेवाय  
मुंडाल शाखा  
तहसील मजरा, जिला कुच्छ

सचिव  
वन अधिकारी  
मुंडाल शाखा  
तहसील मजरा, जिला कुच्छ  
PAGE